संख्या:24/2022/मु.मं.28/22/46-1002/56/2019

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2022

विषयः गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइड-लाइन्स) में बीज/भूमि उपचार एवं पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम में निर्धारित रसायनों की दरों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या:2043 सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा गन्ना विकास की योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों को वित्तीय वर्ष 2012-13 से मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइड-लाइन्स) निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(2) में बीज उपचार एवं भूमि उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ने को रोग एवं कीट प्रकोप से बचाने के लिए उपयोगित कृषि रसायनों के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.500 प्रति हे. की दर से अनुदान दिये जाने तथा प्रस्तर-1(3) में पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरिया छिड़काव में प्रयुक्त होने वाले कृषि रसायनों के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.150 प्रति हे. का अनुदान गन्ना कृषकों को दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या:2043 सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 में बीज एवं भूमि उपचार तथा पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु अनुदान की वर्तमान प्रचलित दरें क्रमश: रू.500 एवं रू.150 प्रति हेक्टेयर की दरों को बढ़ा कर दोनों कार्यक्रमों हेतु दरों को एक समान करने तथा प्रयुक्त किये गए रसायन की कुल कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू.900 प्रति हेक्टेयर अनुदान निर्धारित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. यह सुनिश्चित करेंगे कि 'बीज एवं भूमि उपचार' तथा 'पेड़ी प्रबंधन' हेतु प्रयुक्त होने वाले रसायन, कृषि प्रयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (approved) हों।

(2) प्रयुक्त कृषि-रसायनों हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप पाये जाने पर अनुदान का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभांवित होने वाले कृषकों/लाभार्थियों को इसी तरह की किसी अन्य योजना से लाभांवित नहीं किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश संख्या:2043 सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक:10-12-2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

संख्या:24/2022/मु.मं.28/22/46-1002/56/2019 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम उ.प्र., प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त उ.प्र. लखनऊ।
3. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त।
4. समस्त संबंधित जिलाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी।
7. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।